

निम्नलिखित शर्तों के साथ नया भवन निर्माण नक्शा स्वीकृत की जाती है।

- (i) अधिक सरकारी/नगरपालिका का जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कर जमीन अतिक्रमण नहीं करेंगे।
- (ii) भवन में सेवा शौचालय का निर्माण नहीं करेंगे।
- (iii) भवन में रोशनी के लिए पूर्णतः रोशनदान की व्यवस्था करेंगे।
- (iv) नगरपालिका नाली/रस्ता से 5 फीट एवं समर्पित नक्शों के तीनों तरफ तीन-तीन फीट छोड़ कर ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- (v) उक्त निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक द्रव्यों का व्यापार/मण्डारण नहीं करेंगे।
- (vi) पत्थर, बालू, गिट्टी, मिट्टी, ईट इत्यादि रख कर रोड़/नाली का अवरोध नहीं करेंगे। अवरोध करने पर ज़ुमाना लागू किया जायेगा।
- (vii) सड़क पड़ोसियों के तरफ खिड़की नहीं खोलेंगे।
- (viii) आवश्यकता होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले अंचल अमीन या नगरपालिका अमीन की उपस्थिति में उनका मापी के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- (ix) एक साल के अन्दर निर्माण कार्य निष्पादन नहीं करने पर नक्शा को नवीकरण कराना अनिवार्य है।
- (x) समर्पित नक्शा के अनुरूप ही निर्माण कार्य निष्पादन करेंगे।
- (xi) भवन में (जी+3) बिद्युत (ठनका) के कुप्रभाव को रोकने हेतु लड़ित चालक प्रतिरोधक संयंत्र स्थापित करने का अनिवार्य है।
- (xii) भविष्य में किसी प्रकार का तकनीकी गड़बड़ उत्पन्न होने पर स्वीकृत नक्शा को खारिज करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।



11/3/08
विशेष निदेश
सुरक्षित नगरपालिका